

(9)



II/निः/सिंग./अ०२८/१८/१६१९

प्रकरण क्रमांक:- / 2018

माण्डवी पाठक पिता हरिगोविन्द पाठक साकिम ढोंगा पेशा शिक्षित बेरोजगार  
तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र) ——————आवेदिक/निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शासनदूत उलैकटर सिंगरौली, ——————अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन आदेश विरुद्ध न्यायालय  
श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा शृंखला  
न्यायालय रीधी सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक  
397/2017-18 अप्रैल में पारित आदेश  
दिनांक 09.01.2018 साथ ही आदेश विरुद्ध  
न्यायालय कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण क्र.  
8 अप्रैल 16-17 आदेश दिनांक 11.12.2017  
एवं उपखण्ड अधिकारी देवसर जिला  
सिंगरौली के प्रकरण क्र.91/अ-2/16-17  
में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 से  
व्यक्ति होकर प्रस्तुत है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्रभु-राजसव  
राहिता 1959

— 2 —

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक/दो/निग/सिंगरोली/भूरा/2018/1613

आमदानी बनाम शासन

साधान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

प्रश्नाएँ एवं संशोधनको  
आदि के हारातकार

06-07-18

आवेदक के अधिवक्ता श्रीएस0के0वाजपेई उपस्थिता अन्नावेदक के अधिवक्ता श्री सिराज कुरेशी उपस्थित हुए उभय पक्ष को कायमी पर सुना गया प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया अपर आयुक्त रीवा व्दारा पारित आलौच्य आदेश दि 09/01/18 में उल्लिखित किया है कि ललितपुर सिंगरोली न्यू रेल्वे लाइन में प्रस्तावित भूमि के अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो जाने के उपरांत प्रभावित भूमि के व्यपर्वतन कार्यवाही किया जाना औतचत्यहीन है इसी तथ्य के आधार पर अपर आयुक्त व्दारा आलौच्य आदेश पारित कर प्रकरण कायमी के बिंदु पर ही समाप्त किया गया है प्रकरण की भूमि रेल्वे लाइन से संबंधित होकर सार्वजनिक पर्यावरण हेतु उपयोगी है तथा आवेदक ने नोटिफिकेशन के उपरांत व्यपर्वतन चाहा है जो औचित्यहीन है

अत अपर आयुक्त रीवा व्दारा पारित आलौच्य आदेश में विरी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है प्रथमदृष्ट्या प्रकरण में सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से प्रकरण अवाहय किया जाता है

म/व/ 6/7/18  
सदस्य